



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122020-223897  
CG-DL-E-23122020-223897

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4103]  
No. 4103]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/Pausha 1, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

**का.आ. 4666(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2609 (अ) तारीख 4 अगस्त, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 49) के कि.मी. 240.000 से कि.मी. 312.400 तक ( बिलासपुर - उर्दावल सेक्शन ) तक के भूखण्ड पर निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि ), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "11 अगस्त 2020 " को "जनकर्म (हिंदी में )" तथा "11 अगस्त 2020 " को "दैनिक भास्कर (अंग्रेजी में )" प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

**अनुसूची- 3D (जिला - रायगढ़, तहसील - खरसिया )**

छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 200 (नया रा. रा. सं. - 49) के कि.मी. 240.000 से कि.मी. 312.400 तक (बिलासपुर - उर्दावल खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

| राज्य का नाम: छत्तीसगढ़ |                        | जिले का नाम: रायगढ़ |                 |                                  |                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रमिक संख्या           | सर्वेक्षण संख्या       | भूमि का प्रकार      | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम                                                                   |
| 1                       | 2                      | 3                   | 4               | 5                                | 6                                                                                                      |
|                         | तालुक का नाम: खरसिया   |                     |                 |                                  |                                                                                                        |
|                         | गांव का नाम: रक्सापाली |                     |                 |                                  |                                                                                                        |
| 1                       | From 319/18            | निजी                | कृषि            | 0.164                            | चिंतामणि, पिता- जगबंधु, वर्ग-अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- अघरिया पता-सा. देह स्वामित्व-भूमिस्वामी ( ३१९/ १८) |
| 2                       | From 319/23            | निजी                | कृषि            | 0.069                            | बेदराम, पिता-मालिकराम, वर्ग-अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- अघरिया पता-सा. देह स्वामित्व-भूमिस्वामी ( ३१९/ २३)  |
| 3                       | From 319/24            | निजी                | कृषि            | 0.026                            | बेदराम, पिता- मालिकराम, वर्ग-अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- अघरिया पता-सा. देह स्वामित्व-भूमिस्वामी ( ३१९/ २४) |
| 4                       | From 381/36            | निजी                | कृषि            | 0.381                            | सुरेंद्र, पिता-जगबंधु, वर्ग-अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- अघरिया पता-सा. देह स्वामित्व-भूमिस्वामी ( ३८१ /३६)  |
|                         |                        |                     | कुल             | 0.64                             |                                                                                                        |

[फा. सं. RW/NH-37014/18/2010-NHDP-IVA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2020

**S.O. 4666(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 2609 (E) dated 04.08.2020**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No 200 (New N.H. No. 49) on the stretch of land from Km. 240.000 to Km. 312.400 (Bilaspur - Urdawal Section) in district of RAIGARH in the state of CHHATTISGARH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Jankarm in Hindi**” dated 11.08.2020 and “**Dainik Bhaskar in English**” dated **11.08.2020**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE-3D (Dist. Raigarh Tehsil:-Kharsia)**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 240.000 to 312.400 Package III (Bilaspur - Urdawal section) of the National Highway-200 (New NH-49) in the State of CHHATTISGARH.

| State: CHHATTISGARH |                    | District: RAIGARH |                |                 |                                                                          |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sr. No.             | Survey Number      | Type of Land      | Nature of Land | Area in Hectare | Name of the Land Owner/Interested Person<br>Part Survey No.              |
| 1                   | 2                  | 3                 | 4              | 5               | 6                                                                        |
|                     | Taluk: Kharsia     |                   |                |                 |                                                                          |
|                     | Village: Raksapali |                   |                |                 |                                                                          |
| 1                   | From 319/18        | Private           | Agriculture    | 0.164           | Chintamani S/o Jagbandhu category OBC cast - Aghariya Landlord<br>319/18 |
| 2                   | From 319/23        | Private           | Agriculture    | 0.069           | Bedram S/o Malikram category OBC cast - Aghariya Landlord<br>319/23      |
| 3                   | From 319/24        | Private           | Agriculture    | 0.026           | Bedram S/o Malikram Category OBC cast - Aghariya Landlord<br>319/24      |
| 4                   | From 381/36        | Private           | Agriculture    | 0.381           | Surendra S/o Jagbandhu category OBC cast - Aghariya Landlord<br>381/36   |
|                     |                    |                   | <b>TOTAL</b>   | <b>0.64</b>     |                                                                          |

[F. No. RW/NH-37014/18/2010-NHDP-IVA/3D]

RAJESH GUPTA, Director